न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर, बीदासर

पीठासीन अधिकारी – श्रीमती अनिता धेतरवाल आर.ए.एस.

न. मु. 5/2024

1 लिछमणराम पुत्र पूसा राम जाति जाट निवासी कालेरां की ढ़ाणी तहसील बीदासर जिला चूरू

प्रार्थी

बनाम

1 राजस्थान सरकार द्वारा श्रीमान तहसीलदार बीदासर जिला चूरू राज.

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 बाबत रेकार्ड दुरूस्ति

उपस्थित
1 प्रार्थी स्वयं
2 पैरोकार राज.

निर्णय दिनांक :–20/02/2024

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1955 बाबत रेकार्ड दुरूस्ति का पेश कर निवेदन किया कि रोही ग्राम कालेरा की ढ़ाणी में खेत खसरा नम्बर 2109/2101 हैक्टेयर रकबा 1.7705 हैक्टेयर मुझ खातेदार लिछमणराम पुत्र पूसा राम की खातेदारी का है जो राजस्व रेकार्ड में लिछमण पुत्र फूसा के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज है। मेरे समस्त दस्तावेज यथा आधार कार्ड, बैंक पासबुक, पैनकार्ड में मेरा नाम लिछमणराम पुत्र पूसा राम दर्ज है। मै प्रार्थी राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी एवं नक्शा में अपना लिछमणराम पुत्र पूसा राम शुद्ध करवाना चाहता हूँ उपरोक्त वर्णित खातेदारी कृषि भूमि प्रार्थी के पूर्वजों के वक्त की पैतृक सम्पति है प्रार्थी उक्त खाता खसरा का रेकार्डेड खातेदार होने की हैशियत से रेकार्ड को दुरूस्त करवाने का अधिकारी है। प्रार्थी खेत खसरा नम्बर 2109/2101 रोही कालेरा की ढ़ाणी तहसील बीदासर जिला चूरू का खातेदार कृषक है इसलिए प्रार्थी को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का आधार प्राप्त हैं। उपरोक्त खसरा नम्बर 2109/2101 रोही कालेरा की ढ़ाणी में स्थित है जिसका श्रवणाधिकारी एवं क्षेत्राधिकार श्रीमानजी के न्यायालय को प्राप्त है।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी सख्या 1 तहसीलदार बीदासर से रिपोर्ट प्राप्त हुई। पैराकार राज. ने प्रार्थी का नाम राजस्व रेकार्ड में शुद्ध करने की अनुंशषा की है।

लगातार....2 पर

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर (चूरू)

Scanned with CamScanner

हमने पत्रावली का भलीभांती अवलोकन किया तथा पत्रावली पर प्रस्तुत रेकार्ड दस्तावेजात को बगौर देखा। प्रार्थी को सुन कर मनन किया। प्रकरण में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत अभिवचनों और दस्तावेजात के खण्डन में कोई साक्ष्य व दस्तावेज प्रस्तुत नहीं आया है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

आदेश

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर आदेश दिया जाता है कि रोही कालेरा की ढ़ाणी के खेत खसरा नम्बर 2109/2101 रकबा 1.7705 हैक्टेयर में दर्ज खातेदार लिछमण पुत्र फूसा शुद्ध किया जाकर लिछमणराम पुत्र पूसा राम जाति जाट दर्ज किये जावे। अप्रार्थी सख्या 1 तहसीलदार बीदासर को आदेश की पालना हेतू अलग से लिखा जावे। खर्चा पक्षकार अपना वहन करें।

निर्णय आज दिनांक 20–2–2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर (चूरू)

Scanned with CamScanner